

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या ०५/१९ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री लखन सिंह पुत्र भकर सिंह

पटवारी हल्का गिराठ

जाति राजपूत निवासी गिराठ
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज वमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की अप/अनु । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराठ ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम कुकरी के खसरा नंबर ३५/१३ रकबा 18970 बीघा में से 1.8 बीघा किरम गैर मुग्ये राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।


अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षर 5000 रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

टी. आर .ए .पटवारी हल्का , निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक २७-०५-१९ को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडरारोड
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 50 फसल नि. 11800/-
कुल योग 11854/- रजि. के पृष्ठ सं. 23
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया :


तहसील राजस्व लेखाकार